

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ

संख्या:-जी-04एफए / 15-499एफए / 74 / 14

दिनांक: ०५ मार्च, 2015


- 1 प्रधान प्रबन्धक,  
केन्द्रीय कार्यशाला / डा०राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,  
उ०प्र०परिवहन निगम कानपुर।
- 2 प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान,  
उ०प्र०परिवहन निगम कानपुर।
- 3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक / सहायक क्षेत्र०प्र०(वित्त),  
उ०प्र०परिवहन निगम।
- 4 प्रबन्धक (आहरण-वितरण),  
उ०प्र० परिवहन निगम,  
मुख्यालय, लखनऊ।
- 5 प्रबन्धक, कारसेक्शन  
उ०प्र० परिवहन निगम लखनऊ।
- 6 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व / पश्चिम)  
निगम मुख्यालय लखनऊ।

विषय :- परिवहन निगम के पूर्णकालिक / पेंशनेबुल कार्मिको को 100 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

शासनादेश सं०-225 / 30-2-2015-2(19) / 2007टीसी दिनांक 02.03.15 द्वारा उ०प्र० परिवहन निगम के कार्मिको को दिनांक 01.03.15 से महंगाई भत्ता की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उक्त के परिपेक्ष्य में पूर्व में अनुमन्य 90 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 100 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.03.15 से किया जाना है।

निगम के सेवानिवृत्त कार्मिको को भी, जिन्हें निगम स्तर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, को उपरोक्तानुसार 100 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.03.2015 से पेंशन पर राहत के रूप में किया जायेगा।

  
(मुकेश कुमार मेश्राम)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-सहायक प्रबन्धक(पेंशन / फण्ड / के०भु० / ले०मु०), परिवहन निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार अग्रवाल)  
वित्त नियंत्रक